UPBS010026822018

न्यायालय Adj F.T.C.II, Basti

पीठासीन अधिकारी– (SMT. ANKITA DUBEY), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01713**

Civil Appeal/68/2018

Gayatri devi Vs. Suresh kumar

.....

दिनांकः 14-10-2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर अपीलार्थिनीगण पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली प्रार्थना पत्र 31 ग 2 तथा 29 क 2 पर आदेश हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 31 ग 2 तथा 29 क 2

प्रार्थिनीगण ने प्रार्थनापत्र 31 ग 2, मय शपथ पत्र 32 ग 2 अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि कोविड-19 के कारण न्यायालय बंद रहने के प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र समय से नहीं दिया गया है तथा प्रार्थिनीगण द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गई है। अत: प्रार्थिनीगण को धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ दिया जाए।

विपक्षी सं०-3 पर समन का तामीला न्यायालय द्वारा पर्याप्त माना जा चुका है तथा विपक्षी को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। शेष विपक्षीगण वर्तमान तक पत्रावली में उपस्थित नहीं आये हैं।

अपीलार्थिनीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र समयावधि के अंदर नहीं दिया गया है जिसके लिये प्रार्थना पत्र 31 ग 2 द्वारा अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ देते हुये विलंब को क्षमा करने की याचना की गई है। प्रार्थना पत्र में विलंब का कारण कोविड–19 दर्शाया गया है जो न्यायालय की राय में उचित एवं पर्याप्त है। यह स्थापित विधि है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के निस्तारण के समय न्यायालय को उदार अर्थान्यवयन करना चाहिये। अत: न्यायहित में प्रार्थना पत्र 31 ग 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रार्थिनीगण ने प्रार्थनापत्र 29 क 2, मय शपथ पत्र 30 ग 2 इस आशय का दिया गया है कि दौरान अपील, अपीलार्थिनी सं०-1 की मृत्यु दिनांक 07/05/2020 को हो चुकी है। मृतका के विधिक वारिसान प्रार्थिनीगण 1/1 ता 1/5 क्रमश: श्रीमती निरजा सिंह, श्रीमती नीलम सिंह, श्रीमती धीरजा सिंह, श्रीमती शालिनी सिंह तथा श्रीमती स्वाति सिंह हैं। अत: प्रार्थिनीगण ने विधिक एवं कानूनी वारिसान को प्रतिस्थापित किये जाने एवं तत्सम्बन्धी परिणामी संशोधन किये जाने की याचना की है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थिनीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 29 क 2 द्वारा प्रस्तावित वारिसानों को प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रस्तावित वारिसान पत्रावली पर जरिये वकालतनामा हाजिर हैं। अत: अपील की कार्यवाही के अग्रसारण हेतु प्रार्थना पत्र 29 क 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 31 ग 2 स्वीकार किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है। तदानुसार प्रार्थना पत्र 29 क 2 भी स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थिनीगण वांछित संशोधन भीतर सप्ताह करें। वाद संशोधन अपीलार्थी शेष विपक्षीगण पर तामील हेतु उभय प्रकार पैरवी करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 23-10-2020 को पेश हो।

(SMT. ANKITA DUBEY)
Adj F.T.C.II, Basti